राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 70(2) ग्रावि/नरेगा/प्रशि./राज्य/2012–13 जयपुर, दिनांकः 28.06.2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं कार्यरत मेटो हेतु दिनांक 03.07.2014 (गुरूवार) को पंचायत समिति स्तर पर आधा दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की टीम द्वारा की गई विजिट व राज्य स्तर निरीक्षण दल द्वारा जिलों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि जिलों मे मौके पर कार्यो का सही ढग से निष्पादन नहीं हो रहा है एवं स्थाई परिसम्पतियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता है कि नरेगा कार्यो पर श्रमिकों की उपस्थिति समय पर हो, उन्हें पूरे टास्क की जानकारी दी जाकर उनसे पूरा काम लिया जाए ताकि उन्हें पूरी मजदूरी मिल सके साथ ही उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण हो, जिससे गॉवों का विकास हो सके। इसी उद्देश्य से योजनान्तर्गत कार्यो के प्रभावी कियान्वयन के लिए ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं कार्यरत मेटो हेतु दिनांक 03.07.2014 (गुरूवार) को पंचायत समिति स्तर पर आधा दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का निम्नानुसार आयोजन किया जाना है :–

- **दिनांकः– 03.07.2014** गुरूवार
- **स्थानः–** पंचायत समिति का सभागार
- **समयः–** आधा दिवसीय, दो बैचो में प्रशिक्षण
  1. प्रथम बैच – प्रातः 9.00 से अपरान्ह 1.00 तक 15–20 ग्राम पंचायते
  2. द्वितीय बैच – अपरान्ह 2.00 से सायंः 6.00 तक शेष ग्राम पंचायते
- **संभागी :–** ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं नियोजित मेट (सभी की समय पर उपस्थिति अनिवार्य है, अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी)
- **लक्ष्य समूहः–** लगभग 100–150 संभागी एक बैच में।
- **प्रशिक्षण विधियॉः–**
  1. फिल्म प्रदर्शन 2. पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन 3. व्याख्यान 4. प्रश्नोत्तरी
  5. प्रशिक्षण मूल्याकंन/परीक्षा 6. शंका समाधान
- **मास्टर ट्रेनर सह पर्यवेक्षक (Trainer Cum Observer) :–**

  जिला स्तर से जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रशिक्षित अधिकारी को मास्टर ट्रेनर सह पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जाऐं, वे व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण दिलवाऐंगे व साथ–साथ परीक्षा का आयोजन भी करवाऐंगे।

  प्रत्येक मास्टर ट्रेनर को दिनांक 02.07.2014 को प्रातः 10.00 से 1.00 बजें तक वीडियों कान्फ्रेन्सिंग (V.C.) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **प्रशिक्षण हेतु वितरित की जाने वाली बुकलेटः–** ई–मेल से भिजवाई जा रही है प्रिंट लेकर फोटो स्टेट करवाकर प्रशिक्षण के दौरान वितरित करवाई जाए।

- **प्रशिक्षण उपरान्त संभागियों की परीक्षाः—**
  पर्यवेक्षक के निर्देशन मे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा वे परीक्षा परिणाम बताऐंगे एवं Answer Key से प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर शंका समाधान सत्र में व्याख्या सहित बताऐंगे। प्रश्न पत्र कुल 20 अंक का होगा 10 अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले को उतीर्ण नहीं किया जाऐं एवं उन्हें शनिवार दिनांक 05.07.2014 को पुनः प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाए। प्रश्न पत्र ई—मेल द्वारा प्रशिक्षण दिनांक 03.07.2014 को पंचायत समिति में प्रथम सत्र के लिए दोपहर 12.00 बजें व द्वितीय सत्र के लिए सायंः 5.00 बजें भिजवाया जाएगा।

- **प्रशिक्षण की तैयारी की सूचनाः—** दिनांक 02.07.2014 को 06.00 P.M. तक निम्न प्रारूप में सूचना कार्यालय आयुक्त, ईजीएस को ई—मेल nrega.raj@gmail.com पर भिजवाई जाऐं :—

क्र.सं.	पंचायत समिति	मास्टर ट्रेनर व पर्यवेक्षक का नाम/ पद एवं मोबाईल नम्बर	सम्भागियों की संख्या जिनकों प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सूचित कर दिया गया				
			ग्राम सेवक	ग्राम रोजगार सहायक	कनिष्ठ लिपिक	मेट	कुल संभागी

- **प्रशिक्षण उपरान्त रिपोर्टः—** दिनांक 03.07.2014 07.00 P.M. तक (फोटोग्राफ सहित) निम्न प्रारूप में कार्यालय आयुक्त, ईजीएस को ई—मेल nrega.raj@gmail.com पर भिजवाई जावेः—

क्र.सं.	पंचायत समिति	सम्भागियों की संख्या जिनकों प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सूचित किया गया था					प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सम्भागियों की संख्या					प्रशिक्षण में उतीर्ण सम्भागियों की संख्या				
		ग्राम सेवक	ग्राम रोजगार सहायक	कनिष्ठ लिपिक	मेट	कुल संभागी	ग्राम सेवक	ग्राम रोजगार सहायक	कनिष्ठ लिपिक	मेट	कुल संभागी	ग्राम सेवक	ग्राम रोजगार सहायक	कनिष्ठ लिपिक	मेट	कुल संभागी

- **प्रशिक्षण व्ययः—** उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद से अधिकतम 10,000/— रूपये (दस हजार रूपये) तक (प्रति बैच 5000/— रूपये तक) का व्यय आई.ई.सी./ट्रेनिंग मद से किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- **यह स्पष्ट किया जाता है कि** प्रशिक्षण पूर्ण गम्भीरता से प्रभावी तरीके से करवाया जाए एवं सभी को यह संदेश दिया जाए कि भविष्य में कार्यस्थल पर सही व अपेक्षानुसार कार्य नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाऐगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं विकास अधिकारीगण को समुचित निर्देश देते हुए अपने कुशल मार्गदर्शन में उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाऐं एवं आयोजन की सूचना भिजवाना सुनिश्चित करवाऐं।

भवदीय

संलग्नः— कार्यक्रम व प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु।

(डॉ. समित शर्मा)
आई.ए.एस
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव,
ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं कार्यरत मेटो हेतु ब्लॉक स्तर पर आधा दिवसीय

प्रशिक्षण का कार्यक्रम
(दिनांक 03.07.2014, गुरूवार)

समय		विषय वस्तु	संदर्भ व्यक्ति
प्रथम बैच	द्वितीय बैच		
8.50 A.M से 9.00 A.M	1.50 P.M से 2.00 P.M	• परिचय एवं पंजीयन	
9.00 A.M से 9.20 A.M	2.00 P.M से 2.20 P.M	• प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं उद्बोधन	मास्टर ट्रेनर सह जिला स्तरीय पर्यवेक्षक
9.20 A.M से 9.30 A.M	2.20 P.M से 2.30 P.M	• फिल्म का प्रदर्शन	
9.30 A.M से 10.00 A.M	2.30 P.M से 3.00 P.M	• महात्मा गांधी नरेगा के उद्देश्य • नरेगा अन्तर्गत अनुमत किये गये नए कार्य (संशोधित अनुसूची–1 दि. 04.01.14) • योजनान्तर्गत सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं मेट के दायित्व • ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिकों पर लागू की जाने वाली कार्य मूल्याकंन व ग्रेडिग व्यवस्था (Performance monitoring & Ranking)	विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस (पीपीटी व व्याख्यान)
10.00 A.M से 11.30 A.M	3.00 P.M से 4.30 P.M	• श्रमिकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित कराना • कार्यस्थल समूहवार काम का वितरण (Daily Task Assignment in groups) • स्थाई व उपयोगी परिसम्पतियों का सृजन (Creation of useful durable assets)	सहायक अभियंता, ईजीएस (पीपीटी व व्याख्यान)
11.30 A.M से 12.00 Noon	4.30 P.M से 5.00 P.M	• कार्यस्थल पर सुविधाएं (Work site facilities) • मजदूरी भुगतान (Timely and differential wage payment) • नए निरीक्षण प्रपत्र अनुसार कार्य की गुणवत्ता श्रेणी (Quality grading) की जानकारी देना	कनिष्ठ अभियंता, ईजीएस (पीपीटी व व्याख्यान)
12.00 Noon से 12.30 P.M	5.00 P.M से 5.30 P.M	• अभिनव पहल राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण एवं मॉडल तालाबों का निर्माण	कनिष्ठ अभियंता, ईजीएस
12.30 P.M से 12.45 P.M	5.30 P.M से 5.45 P.M	• प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा (20 प्रश्न)	मास्टर ट्रेनर सह जिला स्तरीय पर्यवेक्षक
12.45 P.M से 1.00 P.M	5.45 P.M से 6.00 P.M	• शंका समाधान एवं समापन सत्र	1. मास्टर ट्रेनर सह जिला स्तरीय पर्यवेक्षक 2. कार्यक्रम अधिकारी 3. सहायक अभियंता 4. कनिष्ठ अभियंता

प्रशिक्षण कार्यकम के मुख्य बिन्दु

1. **श्रमिकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित कराना**

2. **कार्यस्थल समूहवार काम का वितरण** (Daily Task Assignment in groups)
   i. श्रमिकों का 5–5 के समूहों में नियोजन।
   ii. समूहवार नाप पर निशान लगाकर कार्य आवंटित करवाना।
   iii. श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क के अनुसार मौके पर कार्य सम्पादन।
   iv. मस्टररोल के पीछे दैनिक टास्क का प्रतिदिन सही नाप मेट द्वारा अंकित करना।
   v. कार्य समाप्त होने पर कार्य के नाप के आधार पर मेट द्वारा मजदूरों को प्रतिदिन अर्जित मजदूरी से अवगत कराना।

3. **स्थाई व उपयोगी परिसम्पतियों का सृजन** (Creation of useful durable assets)
   i. मौके पर कार्य स्थल पुस्तिका, मानचित्र, एलीवेशन, सैक्शन आदि की उपलब्धता।
   ii. मौके पर संपादित कार्य नक्शें के अनुसार व्यवस्थित रूप से करना।
   iii. कार्य से स्थाई एवं जनउपयोगी सम्पति का सृजन।

4. **कार्यस्थल पर सुविधाएं** (Work site facilities)
   i. कार्य विवरण डिस्पले बोर्ड ।
   ii. आवश्यक दवाईयां।
   iii. पेयजल उपलब्धता ।
   iv. छाया की व्यवस्था।

5. **मजदूरी भुगतान** (Timely and differential wage payment)
   i. मजदूरी का नियमित रूप से (15 दिन में) भुगतान ।
   ii. ग्रुप टास्क के आधार पर अलग–अलग मजदूरी का भुगतान ।

6. **नए निरीक्षण प्रपत्र अनुसार कार्य की गुणवत्ता श्रेणी** (Quality grading) **की जानकरी देना**

प्राप्त अंक	श्रेणी (Grade)	अपेक्षित कार्यवाही
12 या इससे अधिक	संतोषजनक (Satisfactory)	प्रशंसा एवं प्रोत्साहन
8–11	सुधार की आवश्यकता (Requires improvement)	सुधार हेतु निर्देश
7 या इससे कम	असंतोषजनक(Unsatisfactory)	कारण बताओं नोटिस